निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 76/2017
दायरा दिनांकः–29.08.2017
निर्णय दिनांकः– 15.7.24

उनवान

घांसीलाल आयु 62 वर्ष आत्मज प्रभुलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. कल्याण आयु 30 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
2. बापूलाल आयु 28 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
3. रामप्यारी आयु 26 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
4. काली बाई आयु 24 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
5. काशीबाई आयु 60 वर्ष पत्नि स्व.प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
6. गंगाराम आयु 61 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
7. ग्यारसीलाल आयु 54 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारां राज.
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 15.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा अवस्थित है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। जिसमें से 1 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जों संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी 1 लगायत 5 जों तत्कालीन मृतक खातेदार प्रभू आतमज कल्ला जाति लोधा निवासी हानाहेडी के वैध वारिसान व कायम मुकामान के नाम है अप्रार्थीगण [illegible] 5 का पिता/पति मृतक खातेदार प्रभू है। जिसके हिस्से में से 1 बीघा भूमि पर वादी दिनांक 05.07.1978 से निरंतर आज तक काबिज चला आ रहा है एवं शेष हिस्सा 1/2 अप्रार्थीगण क्रम 6 व 7 के नाम दर्ज है। कि तत्कालीन मृतक खातेदार प्रभू आतमज कल्ला [illegible] लोधा निवासी हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारा राज. द्वारा अपने जीवनकाल में उसके हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा के हिस्से 1/2 में से 1 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा वाली भूमि जो वादी की भूमि खसरा नम्बर 68 से लगवां का बैचान दिनांक 05.07.1978 को जर्ये रजिस्टर्ड बैनामें के माध्यम से वादी को कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उक्त बैचान शुदा भूमि एक बीघा का कब्जा व दखल मृतक खातेदार प्रभू द्वारा वादी को रूबरू गवाहान सम्भला दिया गया तब से आज तक वादी ही उक्त आराजी पर बैहेसियात खरीदार काबिज चला आ रहा है। तत्कालीन मृतक खोतदार प्रभू लोधा द्वारा उक्त अपने हिस्से की आराजी भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा में उसके हिस्से 1/2 में से 1 बीघा भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड बनामें के माध्याम से वादी को बैचान की जिसके बैचान नामें के अनुसार राजस्व रिकार्ड कर्मचारी हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत हानाहेडी द्वारा नामान्तरण नं. 69 ग्राम हानीहेडा खोला गया परन्तु तत्कालीन समय में फ्रगमेन्ट के कारण उसका अमल रोका गया। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। वादी मृतक खातेदार प्रभू लोधा द्वारा खरीद शुदा आराजी भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा के हिस्से 1/2 मे से 1 बीघा भूमि पर वादी बैनामा दिनांक 05.07.1978 से आज तक लगभग 39 साल से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के उक्त आराजी पर बैहेसियत खरीदार काबिज चला आ रहा है इस कारण वादी का उक्त आराजी पर बैनामा दिनांक 05.07.1978 एवं प्रतिकुल कब्जा (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए वादी उक्त खरीद शुदा के बाबत् राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने व खातेदारी घोषणा कराने के वादी वैधानिक अधिकारी है। तत्कालीन खातेदार प्रभू लोधा की मृत्यु होने के कारण विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा में उसके हिस्से जर्ये फोतह इन्तकाल 1/2 पर राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का नाम मृतक प्रभू के वैध वारिसान व कायममुकामान दर्ज हो चुका है जो गलत है। इसलिए वादी मुताबिक बैनामा 1 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का नाम हटकर उनके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में अपना नाम बतौर खरीदार खातेदारी में दर्ज कराने व खातेदारी घोषित कराने का वादी वैधानिक अधिकारी है जो न्यायाहित में अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। राजस्थान राजस्व अधिनियम की धारा 42 में जो फ्रेगमेन्ट से सम्बन्धित है जिसमें सन् 1992 में संशोधन हो चुका है जो वर्तमान में विलोपित निःप्रभावी हो चुकी है। एवं ऐसे हस्तान्तरणों को मान्यता दे दी है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में उक्त रजिस्टर्ड बैनामें के आधार पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 विवादित 1 बीघा भूमि जो रेवेन्यू रिकार्ड में उनके नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है जबरन बलपूर्वक उस पर कब्जा करने एवं अवैध रूप से वादी की एक बीघा भूमि का अन्तरण करने पर आमादा है इसलिए आये दिन झगडा फसाद कर धमकीया देते रहते है। यदि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से वादी को बेदखल करने अथवा उक्त भूमि का अन्तरण [illegible]त क्षति होगी और जिसकी आपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही [illegible]। इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भविष्य में उक्त विवादित भूमि के [illegible]दारी अतिक्रमण अन्तरण के बाबत् कोई विवाद नही हो इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है जो अत्यन्त आवश्यक [illegible] न्यायौचित है। वाद कारण दिनांक 19.08.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से वादी की एक बीघा भूमि पर अतिक्रमण व अन्तरण करने का असफल प्रयास किया व भविष्य में अतिक्रमण व अन्तरण करने की धकमी दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 20.08.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हानाहेडी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 32 नकल नामान्तरण संख्या 69 ग्राम हानाहेडी नकल जमाबन्दी ग्राम हानाहेडी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 49 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 घांसीलाल PW2 भंवरसिंह PW3 बाबूलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हानाहेडी तहसील छबडा में स्थित है जिसमें से 1 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है खसरा नम्बर 67 रकबा 4.02 बीघा का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के खातेदारी में है प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता प्रभूलाल द्वारा अपने हिस्से में से 1 बीघा भूमि पर वादी दिनांक 05.07.1978 से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 6,7 का नाम दर्ज है प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता प्रभूलाल द्वारा अपने हिस्से 1/2 में से 1 बीघा भूमि को बेचान दिनांक 05.07.1978 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वादी को कर दिया था। तब से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 69 ग्राम हानाहेडी खोला गया परन्तु उस समय फ्रेगमेन्ट के कारण उसका अमल रोक दिया गया। वादी को भूमि क्रय किये हुए लगभग 46 वर्ष हो गये है प्रतिकुल कब्जा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादी खरीद शुदा भूमि पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है राज. राजस्व अधिनियम की धारा 42 में जो फ्रेगमेन्ट से सम्बन्धित है जिसमें 1992 में संशोधन हो चुका है जो वर्तमान में विलोपित निःप्रभावी हो चुकी है ऐसे हस्तान्तरण को मान्यता दे दी है वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हानाहेडी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 32 के अनुसार प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 05.07.1979 ग्राम हानाहेडी के अनुसार खातेदार प्रभू द्वारा अपने हिस्से 1/2 में से 1 बीघा भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी घांसीलाल को किया गया था सरपंच ग्राम पंचायत हानाहेडी द्वारा नामान्तरण तस्दीक करतें समय अमल मुन्तकिली की जावे। यानि नामानतरण का अमल रोक दिया गया। वादी को काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (1) के तहत 1992 से पूर्व विक्रय पत्र द्वारा भूमि के लिए किये गए अपखण्डन को विहित रीति से एवं निर्धारित समयावधि में विधिमान्य कराना था। चूंकि वादी द्वारा अपखण्डन को विधिमान्य नही कराया गया है इसलिए विक्रय पत्र 05.07.1978 को वैध दस्तावेज नही माना जा सकता है। वादी वकील द्वारा इस संबंध मे कोई साक्ष्य/साबूत एवं न्यायिक दृष्टांत पेश नही किए जिससे यह माना जाए कि विक्रय पत्र 05.07.1978 वैध दस्तावेज है। एवं अवैध दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाना न्यायोचित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 76/2017	धारा 88,89,90,91,92ए आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:- 15.07.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:-श्री भगवान कृष्ण बलरिया-वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:-श्री	

वाद शीर्षक

घांसीलाल आयु 62 वर्ष आत्मज प्रभुलाल जाति बैरवा (चमार) निवासी हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. कल्याण आयु 30 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
2. बापूलाल आयु 28 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
3. रामप्यारी आयु 26 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
4. काली बाई आयु 24 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
5. काशीबाई आयु 60 वर्ष पत्नि स्व.प्रभूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
6. गंगाराम आयु 61 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी
7. ग्यारसीलाल आयु 54 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति लोधा निवासी हानाहेडी तहसील छबडा जिला बारां राज.
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही निर्णयानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15.7.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:25 IST
Reason: SelfAttested